(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना सं. 59 /2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 21 फरवरी, 2023

विषयः काजू गिरी (टूटी हुई/साबुत) के आयात नीतिगत शर्त में संशोधन।

सा.आ.(अ.) समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 08 के तहत आईटीसी (एचएस) कोड 08013210 के तहत काजू गिरी (टूटी हुई) और आईटीसी (एचएस) कोड 08013220 के तहत काजू गिरी (साबुत) के आयात नीतिगत शर्त में निम्नानुसार संशोधन करती है:

आईटीसी (एचएस) कोड	विवरण	आयात नीति	मौजूदा आयात नीति	संशोधित नीतिगत शर्त
08013210	काजू गिरी, टूटी हुई	निषिद्ध	तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 680/– रु. प्रति कि.ग्रा. से अधिक हो तो आयात मुक्त है।	1. तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 680/– रु. प्रति कि.ग्रा. से अधिक है तो आयात मुक्त है। 2. तथापि, एमआईपी की शर्त 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाईयों (ईओयू) और एसईजेड में इकाईयों द्वारा आयात हेतु लागू नहीं होगी। 3. एसईजेड और ईओयू इकाइयों को आयातित काजू गिरी को घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में बेचने की अनुमति नहीं होगी।
08013220	काजू गिरी,	निषिद्ध	तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 720/– रु. प्रति कि.ग्रा. से अधिक हो तो आयात मुक्त है।	1. तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 720/– रु. प्रति कि.ग्रा. से अधिक है तो आयात मुक्त है। 2. तथापि, एमआईपी की शर्त 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाईयों (ईओयू) और एसईजेड में इकाईयों द्वारा आयात हेतु लागू नहीं होगी। 3. एसईजेड और ईओयू इकाइयों को आयातित काजू गिरी, को घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में बेचने की अनुमति नहीं होगी।

सं. सारंगी

2. इस अधिसूचना का प्रभावः काजू गिरी (टूटी हुई/साबुत) पर न्यनूतम आयात मूल्य (एमआईपी) 100% निर्यात उन्मुख इकाईयों (ईओयू) और एसईजेड में इकाईयों द्वारा आयात के लिए लागू नहीं होगा, बशर्ते कि आयातित काजू गिरी, घरेलू प्रशुल्क क्षेत्रों (डीटीए) में नहीं बेचा जाए।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संतोष कुमार सारंगी
21.2.2023

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेल : dgft@nic.in

(फा.सं. 01/89/180/05/एएम–20/पीसी–II[क]/ई–28980 से जारी)